परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांकः 03.05.2019 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 03.05.2019, दिन शुक्रवार को अपराह्न 04:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 राकेश कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, विधि विभाग, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 मुनेश कुमार, सह–आचार्य, शिक्षा विभाग,सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 अंशु यादव, सह–आचार्या, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
6.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
7.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

माननीया कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

मद सं.–1. **बैच 2015–17 के बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राओं की विशेष बैकपेपर परीक्षा, जिनके मानकानुसार पाठ्यक्रम पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 03 वर्ष समाप्त हो चुकी है, की परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

निर्णय :– बैच 2015–17 के बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के कतिपय छात्र/छात्राओं के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने बैच 2015–17 की बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष की बैकपेपर परीक्षा सम्पन्न कराने का अनुरोध किया है। प्रार्थनापत्र में छात्रों द्वारा बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है तथा बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष के एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण है। साथ ही यह भी सूच्य है कि उक्त छात्रों की पाठ्यक्रम पूर्ण करने की 03 वर्ष की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.12.2018 के विनिश्चय सं0–7 (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के बिन्दु सं0–ख में बैच 2015–17 के ऐसे छात्र जिन्होंने बी0एड0 नवीन पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा बी0एड0 प्रथम वर्ष में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण है, को विशेष बैकपेपर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुक्रम में समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त केवल बैच 2015–17 के बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को ही बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष के किसी एक लिखित प्रश्नपत्र की विशेष बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की, कि यह उक्त छात्र/छात्रों के लिए अन्तिम अवसर होगा तथा इसे दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

मद सं.–2. **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदया की अनुमति से :–**

(i) **प्राचार्य, चौ0 बनवारी लाल महाविद्यालय, हसेरन, कन्नौज द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.08.2018 के माध्यम से छात्रा कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ के बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, विषय–रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में हुई त्रुटि के प्रकरण पर विचार :–**

.....2

निर्णयः– प्राचार्य, चौ0 बनवारी लाल महाविद्यालय, हसेरन, कन्नौज द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.08.2018 के माध्यम से निवेदन किया गया है कि उनके महाविद्यालय की छात्रा कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ के बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, विषय–रसायन विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में कम्प्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि से 40 के स्थान पर 04 अंक अंकित हो गये थे, जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त ज्ञात हुआ। तत्पश्चात छात्रा रसायन विज्ञान की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में पी.पी.एन. कालेज, कानपुर में सम्मिलित हुई, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। छात्रा को छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्तांक 23/50 है।

विश्वविद्यालय के मूल्यांकन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित छात्रा को बी0एएसी0 द्वितीय वर्ष की अर्द्धवार्षिक प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में 19 तथा वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा में 21 अंक प्राप्त हुए है, किन्तु छात्रा की पहली उत्तर पुस्तिका में किसी भी परीक्षक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.11.2018 में निर्णय लिया गया था कि प्राचार्य से प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं पर अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा निरस्त मानी जाय। तत्क्रम में प्राचार्य द्वारा अपना अभिमत दिनांक 20.12.2018 को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :–

कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ के बी0एससी0 द्वितीय वर्ष, विषय रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 के स्थान पर 04 अंक त्रुटिवश चढ़ गए थे। उक्त छात्रा की दोनो कॉपी आपके समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें आप द्वारा अर्द्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी में परीक्षक के हस्ताक्षर न होने की सूचना दी गयी है तथा दूसरी कॉपी में परीक्षक के हस्ताक्षर है। अतः आपसे निवेदन है कि छात्रा कु0 आकांक्षा बी0एससी0 द्वितीय वर्ष की केमेस्ट्री की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुई तथा 40 नम्बर दिए गए थे। छात्रा की दोनों कॉपी सही है।

उपरोक्तानुक्रम में समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। अतः प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका पर परीक्षक के हस्ताक्षर न होने से उपरोक्त प्रदत्त अंक अवैध माना जाय। सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में कु0 आकांक्षा पुत्री श्री शिवनाथ द्वारा बी0एससी0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा के 23 अंक प्रदान करते हुए बी0एससी0 द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) **याचिका संख्या 2856/2016, रजनीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में याची रजनीश कुमार को उपाधि एवं प्रव्रजन प्रमाणपत्र के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णयः– याचिका संख्या 2856/2016, रजनीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य की पत्रावली में प्रदत्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 27.08.2016 एवं उक्त के अनुपालन में प्रस्तुत अतिगोपनीय विभाग की टिप्पणी दिनांक 02.06.2017 तथा याची के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2018 पर अंकित अतिगोपनीय विभाग की टिप्पणी दिनांक 06.04.2018 द्वारा याचिका में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.04.2016 द्वारा इस आशय के आदेश प्रदान किए गए है कि कुलसचिव जी द्वारा याची के प्रत्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

याची के विचाराधीन प्रत्यावेदन/प्रार्थनापत्र एवं अनुस्मारकों तथा प्रस्तुत याचिका में यह उल्लिखित किया गया है कि –

1. प्रार्थी, रजनीश कुमार बी0एस–सी0 (भाग–1) परीक्षा–1998, अनुक्रमांक–9050, केन्द्र–वी.जी.एम. कॉलेज, दिबियापुर से सम्मिलित हुआ था तथा उसके द्वारा निम्न अंक प्राप्त किए गए।

Botany-	17+17+14=48+39=87
Zoology-	20+21+14=55+32=87
Chemistry-	10+04+11=25+38=63
Total =	237/450, Result- Passed

(रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा के उपरांत)

.....3

उक्त के विपरीत अतिगोपनीय विभाग एवं परीक्षा विभाग की सारणीयन पंजिकाओं में निम्नानुसार अंक अंकित है–

Botany- 17+17+14=48+39=87
Zoology- 20+21+14=55+32=87
Chemistry- 10+03+11=24+38=62
Total = 236/450, Result- Failed

2. प्रार्थी/याची द्वारा पर संलग्न अंकतालिका के आधार पर बी0एस–सी0 (भाग–2) परीक्षा–1999, अनुक्रमांक–201764 से सम्मिलित हुआ तथा निम्नांकित अंक अंकित करते हुए अंकतालिका निर्गत की गयी।

Zoology- 14+19+16 = 49+35 = 84
Botany- 05+12+15 = 32+41 = 73
Chemistry- 14+11+14 = 39+45 = 84
Total = 241/450 + 237/450 = 478/900, Result- Pass

3. प्रार्थी/याची द्वारा (पताका 'ख') पर संलग्न अंकतालिका के आधार पर बी0एस–सी0 (भाग–3) परीक्षा–2000, अनुक्रमांक–BS3VGR-46 से सम्मिलित हुआ तथा निम्नांकित अंक अंकित करते हुए अंकतालिका निर्गत की गयी।

Zoology- 16+29+28 = 73+63 = 139
Chemistry- 15+08+24 = 47+65 = 172
Total = 248/450 + 478/900 = 726/1350, Result- Passed with Second Div.

पत्रावली में कुलपति जी द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 27.08.2016 द्वारा इस आशय के आदेश प्रदान किए गए थे कि प्रार्थी के बी0एस–सी0 (भाग–1) परीक्षा–1998 के रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र की काउण्टर फाइल खोजी जाए। उक्त के सम्बन्ध में अतिगोपनीय विभाग की टिप्पणी दिनांक 02.06.2017 द्वारा यह सूचित किया गया कि सन्दर्भित काउण्टर फाइल प्राप्त नही हो पा रही है।

परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। चूँकि प्रकरण काफी पुराना है तथा याची/प्रार्थी, रजनीश कुमार को उक्त बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम की उपाधि एवं प्रवजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में याची श्री रजनीश कुमार का बी0एससी0 प्रथम वर्ष का परीक्षाफल पूर्ववत् उत्तीर्ण कर घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में ऐसे प्रकरण दृष्टान्त न माने जाय।

(iv) **बैकपेपर परीक्षा सम्बन्धी नियमों पर विचार :–**

निर्णयः– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वार्षिक/सेमेस्टर/मेडिकल की मुख्य परीक्षाओं के उपरान्त बैकपेपर परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है। उक्त बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने वाली परीक्षार्थियों को बैकपेपर परीक्षाफल तदनुसार घोषित किया जाता है, अर्थात परीक्षार्थी के अंक अगर बैकपेपर परीक्षा में बढ़ जाते है, तो बढ़ा हुआ अंक प्रदान किया जाता है और यदि परीक्षार्थी के बैकपेपर परीक्षा में अंक घट जाते है, तो घटा हुआ अंक प्रदान किया जाता है। उक्त बैकपेपर नियमावली के अनुसार कभी–कभी उत्तीर्ण छात्र भी प्राप्तांकों में वृद्धि के उद्देश्य से बैकपेपर परीक्षा में कम अंक पाकर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अतः उक्त बैकपेपर नियमावली पर गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों में प्रभावी बैकपेपर अध्यादेश के अनुसार अगर बैकपेपर परीक्षा में छात्र के अंक बढ़ जाते हैं, तो उसे बढ़ा अंक प्रदान किया जाय। साथ ही बैकपेपर परीक्षा में अंक घटने की स्थिति में उसके मूल परीक्षा में प्राप्त अंक यथावत् (No Change) बहाल कर दिए जाय। उक्त व्यवस्था **सत्र 2019–20 की बैकपेपर परीक्षा से प्रभावी मानी जाय।**

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

03.05.19
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा
नियंत्रक/पदेन सचिव

03/05/2019
प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति